भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3698

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों पर सूखे का प्रभाव

3698. श्री प्रसून बनर्जीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के एक बड़े हिस्से में इस साल सूखा पड़ने का पूर्वानुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कृषि-संकट और किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई निवारक कार्रवाई/बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के दूसरे दूरगामी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 31.05.2019 को जारी वर्ष 2019 के दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितंबर) के लिए पूरे देश में सामान्य वर्षा (लंबी अवधि के औसत का 96% से 104%) होने की संभावना है। तथापि, मानसून 2019 के मौसम की शुरुआत से पहले सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की गई है, जो कि मानसून के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए किसी भी मौसम संबंधी आकस्मिकता के प्रबंधन में राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए है। उन्हें जिला कृषि आकस्मिकता योजनाओं को अद्यतन बनाने/सही तालमेल बैठाने; आकस्मिकता योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए बीजों और अन्य आदानों की उपलब्ध कराने; जल की कम खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए उपुयक्त फसलों और कल्टीवारों का चयन करने; नमी संरक्षण के लिए सस्य विज्ञानीय प्रणालियों को बढ़ावा देने; जीवन रक्षक सिंचाई के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने; सिंचाई अवसंरचना को पुनर्बहाल करने; जल संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का उपयोग करने; आदानों, ऋण और विस्तार के रूप में किसानों को सहायता प्रदान करने और आकस्मिकता उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य कृषि विभागों के फील्ड कार्मिकों को जागरूक बनाने की सलाह दी गई है। मॉनसून और क्षेत्र कवरेज आदि की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी और मौसम निगरानी समूह की बैठकों और साथ ही वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से की जाती है और राज्यों को स्थिति के अनुसार उपाय करने की सलाह दी जाती है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) द्वारा 648 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गई हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत आकस्मिकता फसलें जैसे दलहन, कदन्न, सूखा सहय और वर्षासिंचित/सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कम पानी उपलब्ध होने पर उग जाती हैं, के बीजों का वितरण करने का प्रावधान है।

****